संख्याः 962 /उन्तीस(2)/17-2(23पे0)/2016

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 19 सितम्बर, 2017

विषय- **वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्र सरकार की Centre Plan Schemes 2015-16 की विशेष सहायता (Special Assistance) के अन्तर्गत जल गुणवत्ता की समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 823/N-551/2016-17 दिनांक 09 फरवरी, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश संख्याः F.No.-44(1)/2015-1500 दिनांक 16 मार्च, 2016, नीति आयोग के पत्रांक P-12018/25/2015-RD/DWS दिनांक 19.09.2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में Centre Plan Schemes 2015-16 की विशेष सहायता (Special Assistance) के अन्तर्गत जल गुणवत्ता की समस्याओं के निराकरण हेतु प्राप्त ₹ 62.00 लाख (₹ बासठ लाख मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य आकस्मिकता निधि से आहरण की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, इतनी ही धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के तहत व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(i)- स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य अभियन्ता, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।

(ii)- स्वीकृत की जा रही धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii)- प्रतिमाह के अन्त में व्यय विवरण बी0एम0-13 पर एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा किये गये कार्यों का प्रगति विवरण नियमित रूप से शासन को अविलम्ब 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा और महालेखाकार से समय-समय पर आंकड़ों का मिलान सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv)- राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत धनराशि का समायोजन/प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में बजट प्राविधान करके की जायेगी।

(v)- योजना की अनुमोदित लागत की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा। योजना हेतु अनुमोदित लागत से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय। उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाय जिस हेतु उक्त राशि केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।

(vi)- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित व वर्तमान में प्रभावी दिशा-निर्देशों तथा भारत सरकार के इस सम्बन्ध में लागू अन्य संगत नियमों/निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(vii)- उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-1 (लेखा

नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(viii)- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रथमतः–8000–राज्य आकस्मिकता निधि–201–समेकित निधि से विनियोजन के नामे डाला जायेगा, अन्ततः अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक–2215–01–जलापूर्ति–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–04–विशेष सहायता अन्तर्गत अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामें डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या–F1709990008 दिनांक 19 सितम्बर, 2017 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 एवं 610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–114/XXVII (2)/2017, दिनांक 31 अगस्त, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पृ0सं0 18 (1)/XXVII(1)/रा0आक0निधि/2017, दिनांक 31 अगस्त, 2017।

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी–प्रथम), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, सहारनपुर रोड़, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह0/–
श्रीधर बाबू अद्दाकी
अपर सचिव, वित्त।

पृ0सं0 262 (1)/उत्तीस(2)/17–2(23पे0)/2016,तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6. बजट निदेशालय, देहरादून।
7. बजट अनुभाग–2, उत्तराखण्ड षासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(निर्मल कुमार)
अनु सचिव।